न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) राजस्थान

उनवान: कुलचन्द्र बनाम रोहिताश्व वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही तथा इतमिनान जाब्ता	हुक्मनामा नं. व तारीख जिसके हुक्म की तामील में जारी हुआ
16/7/18	वमीले पक्षकारान कुलचन्द्र पक्षकारान [illegible] के वादी को प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा करना किया गया। पक्षकारान दाखिल किए गये। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपस में राजीनामा हो गया है। अतः वादी को प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नस्ख में मरकूज जाब्ता बाद तकमील दाखिल रखा है।	[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner